4.1.18

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act सायल ओर से उनके वकील ने पेश किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया एवं वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया। प्रथम द्रष्टया, केस सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध गैर सायलान आगामी पेशी दिनांक 24.01.2017 तक जारी की जाकर पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 2299 रकवा 0–02 बीघा, 2300 रकवा 1–14 बीघा, 2302 रकवा 3–03 बीघा, 2360 रकवा 1–18 बीघा, 2379 रकवा 2–01 बीघा, 2488 रकवा 0–09 बीघा, कुल किता 6 रकवा 9–07 बीघा वाके ग्राम कस्वा बाडी नं0 3 तहसील बाडी में रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे एवं उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी को रहन वय मुन्तकिल नहीं करें। यदि इस आदेश के जारी रखे जाने में गैर सायलान को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 24.01.2018 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। परवाना तहसीलदार बाडी को जारी हो। गैर सायल को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 24.01.2018 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज

24.1.18

आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। सम्मन तामील होकर प्राप्त नहीं। इन्तजार तलबी में पत्रावली 19.2.18 को पेश हो।

19.2.18

आज पत्रावली पेश हुई। मौ. सायलान की ओर से श्री [illegible] उप.। चूंकि मूल वाद पत्र सायल व मौ. श्री. द्वारा आपसी सहमति से प्रारम्भिक डिक्री करालिया है। वाद पत्र के प्रारम्भिक डिक्री

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	अ... हुक्म मे जा...
	हो जाने पर इस प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। उपजिलाधिकारी [illegible] (खेरागढ़) आगरा	